

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / म.स्वा.का. / एसीपी / 20 / 2024 / 106

दिनांक:- 23/05/2024

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (ग्रुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ. डी(नियम) / 2013-II दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी / रुल्स / 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी / रुल्स / 2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ. 15(88)एफडी / रुल्स / 2008 दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार चयनित वेतनमान / एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमति/सुश्री)	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि/पद	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	वर्तमान देय पे ग्रेड/ देय पे वेतन श्रृंखला	लाभ देय पे ग्रेड/ देय पे वेतन श्रृंखला
01	सविता गुप्ता (म.स्वा.का)	भरतपुर	07.12.1998	07.12.2007 (09 वर्षीय)	ग्रेड-पे 2400	ग्रेड-पे 2800

नोट:-

- यदि उक्त कर्मिका के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने के कारण नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 23-05-2024

क्रमांक:-नर्सिंग / म.स्वा.का. / एसीपी / 20 / 2024 / 106

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7390497

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :22-05-2024 06:35:07